सत्यमेव जयते

न्यायालय मुख्य आयुक्त निःशक्तजन

Court of Chief Commissioner for Persons with Disabilities

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय

Ministry of Social Justice & Empowerment

निःशक्तता कार्य विभाग / Department of Disability Affairs

केस संख्या : 180/1015/2013 **दिनांक :15.01.2014**

के मामले मेः-

श्री अमीत कुमार,
पिता - श्री सुरेश प्रसाद बरनवाला,
मझिलाडीह,साँखा, जिला- देवघर,
झारखण्ड - 814150 ..... शिकायतकर्ता

बनाम

क्षेत्रीय निदेशक (एन. आर.),
कर्मचारी चयन आयोग,
ब्लॉक नं. 12, केन्द्रीय कार्यालय परिसर,
लोधी रोड, नई दिल्ली-110054. ..... प्रतिवादी नं. 1

क्षेत्रीय निदेशक (पश्चिमी क्षेत्र),
कर्मचारी चयन आयोग,
प्रतिष्ठा भवन, प्रथम तल, साउथ विंग,
101, एम. के. रोड, मुम्बई - 400020(महाराष्ट्र) ..... प्रतिवादी नं. 2

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा-शुल्क बोर्ड,
(इसके अध्यक्ष की मार्फत),
नोर्थ ब्लाक, राष्ट्रपति भवन,
रक्षा मुख्यालय,
नई दिल्ली-110001. ..... प्रतिवादी नं. 3

सुनवाई की तारीखः- 17.10.2012, 02.12.2013

उपस्थितः

17.10.2012

1. श्री अमीत कुमार, शिकायतकर्ता अधिवक्ता सहित ।
2 . प्रतिवादी की ओर से कोई नहीं ।

02.12.2013

1. श्री अमीत कुमार, शिकायतकर्ता
2. श्री महली मिंज, अवर सचिव, प्रतिवादी की ओर से ।

आदेश

उपरोक्त शिकायतकर्ता, श्री अमीत कुमार, जोकि 65% दृष्टिबाधित व्यक्ति है, ने निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी), अधिनियम, 1995, जिसे इसके पश्चात्

.....2/-

अधिनियम कहा गया है, के तहत निरीक्षक के पद पर ज्वाइनिंग करने से संबंधित शिकायत दिनांक 25.04.2013 प्रस्तुत की ।

2. शिकायतकर्ता का कहना था कि उनका चयन, कर्मचारी चयन आयोग की संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा, 2011 में अंतिम रूप में हुआ था तथा उनको केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क निरीक्षक का पद आबंटित किया गया तथा उनको गुजरात राज्य कैडर मिला । बाद में पोस्टिंग बड़ोदरा क्षेत्र में दिया गया परन्तु ज्वाइनिंग नहीं मिली । प्रार्थी का आगे कहना था कि उनके बैच के लगभग सभी अभ्यर्थियों को ज्वाइन करा दिया गया । बड़ोदरा क्षेत्र से पता करने पर उन्हें पता लगा कि उनकी फाइल पश्चिमी कार्यालय क्षेत्र, मुम्बई को वापस कर दी गई । उनको इस संबंध में कोई सूचना नहीं दी गई । कर्मचारी चयन आयोग, पश्चिमी क्षेत्र कार्यालय में आर.टी.आई. लगाने पर उन्हें सूचना मिली कि दृष्टिबाधित छात्र होने के कारण उनको केन्द्रीय उत्पाद निरीक्षक का पद नहीं दिया गया । शिकायतकर्ता का कहना था कि उन्होंने पद तालिका में निरीक्षक के अलावा अन्य सभी पदों को एवं राज्य प्राथमिकता सूची को भी पूरी तरह से भरा था। उन्होंने सारे पदों के लिए तथा सभी राज्यों को क्रमवार भरा था। परन्तु फिर भी उन्हें निरीक्षक का पद आवंटित कर दृष्टिबाधित छात्र होने के कारण असक्षम बताकर उन्हें अस्वीकृत किया जा रहा है । प्रार्थी का कहना है कि यदि वह केन्द्रीय उत्पाद में निरीक्षक के पद के लिए उपयुक्त नहीं थे तो उन्हें किसी दूसरे पद पर नियुक्ति दी जा सकती थी जैसे कि मंत्रालय में सहायक का पद ।

3. मामला अधिनियम की धारा 59 के अधीन कर्मचारी चयन आयोग, नई दिल्ली के साथ इस न्यायालय के पत्र दिनांक 20.05.2013 द्वारा उठाया गया ।

4. कर्मचारी चयन आयोग, नई दिल्ली ने पत्र दिनांक 5.07.2013 द्वारा यह अवगत करवाया कि श्री अमीत कुमार का डोजियर कर्मचारी चयन आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिमी क्षेत्र, मुम्बई को भेजा गया था चूंकि उन्होंने अपने आवेदन में इस पद हेतु प्राथमिकता दी थी, इसलिए इनका चयन इस पद के लिए किया गया था । उम्मीदवार को परीक्षा के नोटिस के अनुसार आवेदन भरते समय इस पद का चयन नहीं करना चाहिए था क्योंकि दृष्टिबाधित व्यक्ति निरीक्षक के पद हेतु योग्य नहीं है । फिर भी वे इस न्यायालय के पत्र को केन्द्रीय कर्मचारी चयन आयोग, क्षेत्रीय कार्यालय, मुम्बई को टिप्पणी हेतु भेज रहे हैं ।

5. क्षेत्रीय निदेशक, कर्मचारी चयन आयोग, मुम्बई ने पत्र दिनांक 29.07.2013 द्वारा सूचित किया कि श्री अमीत कुमार ने आवेदन पत्र भरते समय जिन पांच पदों की प्राथमिकता का चयन किया था, उन पदों के लिए दृष्टिबाधित व्यक्ति योग्य नहीं हैं । श्री अमीत कुमार अनंतिम रूप से निरीक्षक केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग के लिए सफल हुए थे । नामंकन पूर्व पत्रजात परीक्षण के दौरान मामला उजागर होने पर उनका केस मुख्यालय, कर्मचारी चयन आयोग, दिल्ली को उक्त के मामले में योग्यता के स्पष्टीकरण के लिए भेज दिया गया । अभी तक कर्मचारी चयन आयोग, नई दिल्ली से इस मामले की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है ।

6. शिकायतकर्ता ने अपने पत्र दिनांक 26.08.2013 में कहा है कि पद प्राथमिकता सूची में उन्होंने सभी पदों को भरा था, इसके साथ ही राज्य प्राथमिकता सूची को भी भरा था जिसकी छाया प्रति प्रार्थी ने प्रस्तुत की है । शिकायतकर्ता का आगे कहना है कि क्षेत्रीय निदेशक के पत्र से यह स्पष्ट होता है कि उनका मामला अब मुख्य कार्यालय, दिल्ली पर टाल दिया गया है । प्रार्थी ने आग्रह किया है कि उनके मुद्दे पर जल्द से जल्द सुनवाई की जाए ।

7. प्रतिवादी के उत्तर दिनांक 15.07.2013 एवं शिकायतकर्ता के टिप्पण दिनांक 26.08.2013 के मद्देनजर मामले की सुनवाई दिनांक 17.10. 2013 के लिए निर्धारित की गई ।

8. दिनांक 21.10.2013 की कार्यवाहियों के अभिलेख के अनुसार दिनांक 20.09.2013 की सुनवाई की सूचना के बावजूद क्षेत्रीय निदेशक (उत्तरी क्षेत्र),कर्मचारी चयन आयोग, नई दिल्ली (प्रतिवादी संख्या 1) और क्षेत्रीय निदेशक (पश्चिमी क्षेत्र), कर्मचारी चयन आयोग, मुम्बई (प्रतिवादी संख्या 2) की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ।

9. शिकायतकर्ता के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि सूचना के अधिकार के अन्तर्गत शिकायतकर्ता के आवेदन दिनांक 05.09.2013 के उत्तर में कर्मचारी चयन आयोग ने अपने पत्र सं. 2/13/203-पी.एण्ड पी.-1 दिनांक 06.10.2013 द्वारा सूचित किया कि केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क एवं सीमा-शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) के कार्यालय से प्राप्त मांग के अनुसार रिक्तियां दृष्टिबाधित (वी एच) अभ्यर्थियों के लिए भी निश्चित की थीं । तदनुसार, उपयोगकर्ता विभाग द्वारा सूचित की गई रिक्तियों के विरुद्ध दृष्टिबाधित (वी.एच.) अभ्यर्थी भी चयनित हुए थे । इस प्रकार यह स्पष्ट है कि उपयोगकर्ता विभाग, अर्थात् केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क एवं सीमा-शुल्क बोर्ड निरीक्षक, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के पद पर दृष्टिबाधित व्यक्तियों की नियुक्तियां करने के लिए स्वतंत्र था । दूसरी ओर, कर्मचारी चयन आयोग (पश्चिमी क्षेत्र), मुम्बई ने अपने पत्र संख्या 009/2012/एस.एस.एस.-2011/स्कीम-ए/नामा/केसीएचए-डब्ल्यू आर/571 दिनांक 29.07.2013 द्वारा निवेदन किया कि शिकायतकर्ता ने जिन पांच पदों के लिए अपना अधिमान दिया था, उनमें से कोई भी पद दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लए चिन्हित नहीं है । एक ही संस्था के दो भिन्न-भिन्न कार्यालयों अर्थात् कर्मचारी चयन आयोग द्वारा किए गए दो कथन परस्पर विरोधी हैं ।

10. शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा, 2011 की सूचना दिनांक 19.03.2011 के अनुसार निरीक्षक, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क/निवारक अधिकारी/परीक्षक का पद एक पैर में अस्थिबाधित (ओ एल) और/अथवा एक बाजू (ओ ए), आंशिक रूप से बधिर (पी डी) व्यक्तियों के लिए चिन्हित दर्शित किया गया है किन्तु कम दृष्टि वाले व्यक्तियों (एल वी) के लिए चिन्हित नहीं है ।

11. कर्मचारी चयन आयोग, नई दिल्ली द्वारा पंत्र संख्या 2/13/2013-पी एण्ड पी-1 दिनांक 06.10.2013 द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के प्रभाव में कि केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमा-शुल्क बोर्ड ने रिक्तियां दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए निश्चित की थीं, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा-शुल्क को प्रतिवादी संख्या 3 के रूप में पक्षकार बनाया जाता है और उसे निर्देश दिया जाता है कि वह इन

कार्यवाहियों के अभिलेख की प्राप्ति के 30 दिनों के अन्दर यह प्रस्तुत करे कि शिकायतकर्ता, जोकि कम दृष्टि वाला व्यक्ति है, को क्यों न निरीक्षक, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क के पद पर नियुक्त कर दिया जाए ।

12. कर्मचारी चयन आयोग द्वारा अपनाए गए आधार को निर्दिष्ट करते हुए कि शिकायतकर्ता को पांच पदों में से कोई पद आबंटित नहीं किया जा सकता क्योंकि पांच पदों में कोई भी पद कम दृष्टि वाले व्यक्तियों के लिए चिन्हित नहीं था, इस न्यायालय के लिए इस बात पर आश्चर्य करना उपयुक्त होगा कि किस प्रकार कर्मचारी चयन आयोग को बुद्धिमत्ता कुछ समय पश्चात् आई कि उन्होंने शिकायतकर्ता का चयन करने के पश्चात् यह महसूस किया कि ये पद चिन्हित नहीं थे ।

13. मामले को ध्यान में रखते हुए प्रतिवादी सं. 1 और 2 को यह निदेश दिया जाता है कि वे यह स्पष्ट करें कि शिकायतकर्ता को चिन्हित पद क्यों आबंटित नहीं किया जा सकता जहां रिक्ति विद्यमान है, जिसे कर्मचारी चयन आयोग को वैसे भी प्रारंभिक अवस्था में ही करना चाहिए था । प्रतिवादी संख्या 1 के उत्तर में क्रमशः इस न्यायालय और शिकायतकर्ता को आगे उनके पत्र संख्या 009/2012/ एस.एस.एस.-2011/स्कीम-ए/नामा/सीएचए-डब्ल्यू आर/571 दिनांक 29.07.2013 में अन्तर्विष्ट उनके कथनों में परिवर्तनों को स्पष्ट करना चाहिए । प्रतिवादियों के स्पष्टीकरण/उत्तर इन कार्यवाहियों के अभिलेख की प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों के भीतर पहुंच जाने चाहिए ।

14. मामले की अगली सुनवाई 02.12.2013 को 03.00 बजे अपराह्न की गई थी ।

15. सूचना के अधिकार के अन्तर्गत आवेदन के उत्तर में शिकायतकर्ता को पत्र क्रमांक IV /16/93/2013-आरटीआई दिनांक 07.11.2013 प्राप्त हुआ जिसे उसने न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसमें यह कहा गया है कि एक अभ्यर्थी, अर्थात्, अंशुमन सिंह, दृष्टिबाधित को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के पद पर चेन्नई अंचल में पुडुचेरी में नियुक्त किया गया है । उसका चयन उसी भर्ती परीक्षा वर्ष के विरुद्ध हुआ था जिसमें शिकायतकर्ता श्री अमित कुमार का चयन हुआ था । शिकायतकर्ता ने अपने प्रत्युत्तर दिनांक 28.10.2013 में आगे कहा है कि एक अन्य अभ्यर्थी, अर्थात् श्री मनीष कुमार प्रसाद, जोकि कम दृष्टि वाला व्यक्ति है, को त्रिची में केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क निरीक्षक के पद पर नियुक्त किया गया है, जोकि चेन्नई अंचल के अन्तर्गत ही आता है । उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत करते हुए शिकायतकर्ता ने निवेदन किया कि वी एच अभ्यर्थी चूंकि निरीक्षक (केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क) के पद के लिए पात्र हैं, अतः उसे भी अतिशीघ्र पिछली तारीख से उसी पद पर नियुक्त किया जाए ।

16. मामले के उपरोक्त दृष्टिकोण से यह न्यायालय यह पाता है कि यदि कम दृष्टि वाले व्यक्तियों को चेन्नई अंचल में निरीक्षक (उत्पाद-शुल्क) के पद पर नियुक्त किया जाता है तो वे उसी पद पर दूसरे अंचलों में भी कार्य कर सकते हैं चूंकि उनके कार्य और कर्तव्य चार्ट सभी अंचलों में एक ही प्रकार के होते हैं । इस प्रकार यह न्यायालय प्रतिवादियों को निदेश देता है कि वे वर्तमान मानदंडों के अनुसार यदि वह उपयुक्त पाया जाता है तो शिकायतकर्ता, श्री अमित कुमार को निरीक्षक (केन्द्रीय उत्पाद-

शुल्क) के पद पर नियुक्त करें और इस आदेश की प्राप्ति के 30 दिनों के अन्दर इस संबंध में की गई कार्रवाई से इस न्यायालय को सूचित करें।

17. मामले का निपटारा किया जाता है ।

हस्त/-
(पी. के. पिन्चा)
मुख्य आयुक्त निःशक्त जन